न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–416/16

1 जयसिंह,
2 प्रहलाद सिंह,
3 रघुवीर सिंह,
4 महावीर सिंह, पि0 स्व. श्री माधोसिंह,
5 जीवराज सिंह,
6 रतन सिंह पु0 स्व. श्री भगवत सिंह,
7 भगवान सिंह पुत्र स्व0 श्री मानसिंह, समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम सेवापुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर।

–– रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 26.12.17

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के आदेश दिनांक 29.06.2016 (प्रकरण संख्या 13/2015) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि कृषि भूमि साबिक खसरा नम्बर 5 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 6 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 8 रकबा 11 बिस्वा अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि है तथा आमेर तहसील में हाल में सैटलमेन्ट पैमाईस कार्य किया गया, सैटलमेन्ट कार्य के दौराने सैटलमेन्ट कर्मचारियों ने नया राजस्व रिकार्ड बनाते हुए अपीलार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि जो कि मौके पर चाही अव्वल चाही भूमि है तथा पुराने साबिक राजस्व रिकार्ड में भी चाही अव्वल कृषि योग्य भूमि ही दर्ज है, को सैटलमेन्ट कार्य के दौराने नये खसरा नम्बर बनाते समय व नया राजस्व रिकार्ड बनाते समय खातेदारी तो सही दर्ज कर दी लेकिन भूमि की किस्म में चाही लिखने के स्थान पर गै0मु0 नदी शब्द अंकित कर दिया जिसका कोई आधार नही है, उक्त गलत अंकन सैटलमेन्ट कर्मचारियों की सैटलमेन्ट कार्य के दौरान नया रिकार्ड तैयार करते समय लापरवाही व भूलवश हो गई है जो लिपिकीय त्रुटी होने के कारण ठीक किये जाने योग्य है तथा सैटलमेन्ट कार्य समाप्त हो चुका है तथा अधीनस्थ न्यायालय को लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर होने के कारण उक्त लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है तथा वर्तमान में अब उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 13, 4/503, 4/563, 4/581, 4/582, व 4/562 बने हुए है जो अपीलार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है व कब्जे काश्त में चल आ रही है जिस पर अपीलार्थीगण वर्तमान में भी कृषि कर रहे है तथा सैटलमेन्ट

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कर्मचारियों से उक्त त्रुटि सहवन से लापरवाही पूर्वक कार्य करने से हो गई है जिसका किसी भी प्रकार से कोई विधिक आधार नही है तथा उक्त अवैध व शून्य एन्ट्री को ठीक करना न्यायहित में भी आवश्यक है एवं सैटलमेन्ट कार्य समाप्त हो चुका है जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय को लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर होने के कारण प्रकरण का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त है इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय वास्तविक तथ्यों व विधिक प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन किये बगैर पारित किया गया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में यह कतई अंकित नही किया है कि अपीलान्ट की कौनसी बात किस आधार पर गलत है बल्कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में प्रकरण के न तो किसी तथ्य का व न ही किसी विधिक प्रावधान का ही उल्लेख किया है जबकि विधिक रूप से निर्णय पारित किये जाने के प्रकरण में समस्त तथ्यों का व समस्त विधिक प्रावधानों को समुचित व पूर्ण युक्तियुक्त विवेचन करते हुए निर्णय पारित करना आवश्यक होता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा निर्णय पारित नही किया है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने न तो अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत किये गये राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया व न ही तहसीलदार आमेर द्वारा प्रस्तुत की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट का ही कोई अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय ने वास्तविक तथ्यों को देखे बगैर मनमर्जी से केवल मात्र कयास के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि विवादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है तथा अपीलान्ट्स की खातेदारी की भूमि है तथा गत राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि अपीलान्ट की खातेदारी की अव्वल व बंजड अर्थात कृषि योग्य भूमि दर्ज रिकार्ड है, मौके पर भी उक्त भूमि कृषि भूमि है उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग कर अपीलान्ट अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे है, अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात से व वास्तविक तथ्यों से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्णरूप से साबित है तथा इसी के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड व मौके के आधार पर तहसीलदार आमेर ने भी अपनी रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है इन सब तथ्यों के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने इन सबको बिना देखे, बिना अवलोकन किये मनमर्जी से केवल मात्र सैटलमेन्ट कर्मियो द्वारा किये गये गलत अंकन को काल्पनिक कयास लगाकर सही मानते हुए अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जो कि कतई विधि व न्यायिक प्रावधानो के विपरित है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रकरण में तारीख पेशियो पर अपीलान्ट नम्बर 7 भगवान सिंह पुत्र मानसिंह आता था तथा अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.06.16 को निर्णय नही सुनाया था तथा अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय को रिजर्व रख लिया था जिस कारण से अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नही हो पाई तत्पश्चात् अपीलान्ट भगवान सिंह अस्वस्थ हो जाने के कारण जयपुर नही आ पाया जिस कारण से अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट्स को नही हुई एवं कुछ तबीयत ठीक होने पर दिनांक 18.10.2016 को कलक्ट्रेट जयपुर आने पर अपीलान्ट भगवानसिंह को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई तत्पश्चात् उसी दिन अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, नकल प्राप्त होने के पश्चात् न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील अपीलान्ट्स अन्दर अवधि में प्रस्तुत की गई है, अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है, वह विशेष कारण से मजबूरी में हुई है, जिस कारण से उक्त देरी को माफ किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि में शुमार किया जाना प्रार्थनीय है जिसके लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से पेश किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा मि0 नं0 13/2015 उनवान जयसिंह वगैरह बनाम सरकार में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.06.2016 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न पटवारी हल्का सेवापुरा की रिपोर्ट दिनांक 30.06.15 की छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि हाल गत खसरा नम्बर 5 मीन बंजड़ दोयम एवं खसरा नम्बर 6मीन व 8मीन चाही अव्वल दर्ज रिकार्ड है, जो हाल खसरा नम्बरान 4/503, 4/563, 4/581, 4/582, 4/562 की किस्म गैर.मु. नदी भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत दर्ज करदी गई है जो कि एक लिपिकीय त्रुटि प्रतीत होती है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, आमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर तहसीलदार से विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की जाकर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 26.12.17 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।